कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।

दिनॉक 07.05.2021

आदेश
(संख्या :- 230 /2021)

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1946/LXXXVII-CPC/e-Court Allahabad Dated 26.04.2021 मे दिये गये निर्देशानुसार वर्तमान में कोविड–19 महामारी के बढते हुए मामलो को दृष्टिगत रखते हुए जिला न्यायालयो के संचालन हेतु नवीनतम गाईडलाइन प्राप्त हुई है जिसके अनुसार अग्रिम आदेश तक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से प्राप्त उक्त पत्र के अनुक्रम मे जनपद न्यायालय गाजियाबाद मे पूर्व में पारित निर्देशो को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार से कार्य सम्पादित किया जायेगा जो दिनॉक 28.04.2021 से अग्रिम आदेश तक प्रभावी होगा–

1. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1946/LXXXVII-CPC/e-Court Allahabad Dated 26.04.2021 में दिये गये निर्देशानुसार विडियो कान्फ्रेन्सिंग के द्वारा निम्नवर्णित पीठासीन अधिकारीगण के द्वारा न्यायिक कार्य सम्पादित किया जाना है जिसके अनुसार निम्न न्यायिक अधिकारीगण को न्यायिक कार्य करने हेतु निम्नवर्णित तिथियो के लिए नियुक्त किया जाता है –

क्रम संख्या	दिनॉक	पीठासीन अधिकारीगण का नाम	वी०सी० हेतु आवंटित समय
1	10.05.2021	श्री अरविन्द कुमार यादव-I, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 01, गाजियाबाद	10.30 बजे से 1.00 बजे दोपहर तक
2		श्री संदीप सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 05, गाजियाबाद	1.30 बजे से 2.30 बजे तक
3	11.05.2021	श्री रविन्द्र प्रसाद गुप्ता, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 03, गाजियाबाद	10.30 बजे से 1.00 बजे दोपहर तक
4		श्री विकास सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे), गाजियाबाद	1.30 बजे से 2.30 बजे तक

2. उपरोक्त वर्णित न्यायिक अधिकारीगण निम्नलिखित मामलो की सुनवाई वीडियो कॉन्फरेन्सिग के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करेंगें –

फ्रेश अरजेन्ट मैटर्स जैसे कि नये जमानत प्रार्थना पत्र, रीलीज प्रार्थना पत्र एवं धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत बयान एवं रिमाण्ड कार्य करेंगे

3. उपरोक्त वर्णित समस्त न्यायिक कार्य न्यायालय परिसर अथवा आवासीय कार्यालय से प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक सम्पादित किया जाना है तथा उपरोक्त वर्णित न्यायिक कार्य न्यायालय परिसर से सम्पादित किये जाने के उपरान्त कार्य सम्पादित किये जाने के उपरान्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण कार्यालय एवं न्यायालय परिसर को छोडकर घर चले जाएं।

4. रिमाण्ड कार्य एवं विचाराधीन बंदियों से सम्बन्धित अन्य न्यायिक कार्य JITSI Software/ वीडियों कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा।

5. ई–मेल के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र आदि प्रेषित किये जाने हेतु जनपद न्यायालय गाजियाबाद में नोडल आफिसर कम्पयूटर द्वारा सृजित की गई ई–मेल आई डी **urgent.district judgeghaziabad@gmail.com** के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र व अन्य आवश्यक प्रार्थना पत्रों को प्राप्त किया जायेगा तथा उपरोक्त वर्णित सम्बन्धित न्यायालयो को कम्पयूटर अनुभाग के द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

6. ई–मेल के माध्यम से विद्वान अधिवक्तागण अपराह्न 11.00 बजे तक ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है। उक्त प्रार्थना पत्र पीडीएफ फाइल में निम्नलिखित जानकारी के साथ प्रस्तुत किये जायेगें –

ए– न्यायालय का नाम

बी– विद्वान अधिवक्ता का नाम, मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई डी

सी– वादी/प्रतिवादी का नाम व मोबाइल नम्बर व ई मेल आई डी

7. उपरोक्त वर्णित सभी कार्यवाही केवल वीडियो कॉन्फरेन्सिंग के माध्यम से होनी है उक्त अवधि में विद्वान अधिवक्तागण द्वारा वीडियो कॉन्फरेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु सहायता हेतु सिस्टम आफिसर श्री शिवम मोबाइल नम्बर 9650472094 तथा श्री विमलेश कुमार सिस्टम असिस्टेंट मोबाइल नम्बर 9310847597 से सम्पर्क किया जा सकता है।

8. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित पत्र संख्या 1946/LXXXVII-CPC e-Courts/ Allahabad Dated 26-04-2021 के अनुपालन में तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को मिलाकर केवल 10 कर्मचारीगण ही कार्यालय मे उपस्थित होकर कार्य करना सुनिश्चित करेगें। सभी न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण व विद्वान अधिवक्तागण केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करेंगे तथा मास्क व सेनेटाइजर का नियमित उपयोग करेगें।

9. राज्य सरकार द्वारा जारी की गई दिशा निर्देश दिनॉकित 20.04.2021 के अनुपालन में न्यायालय प्रत्येक शनिवार व रविवार को सेनेटाइजेशन हेतु बन्द रहेगें।

10. उपरोक्त वर्णित न्यायिक अधिकारीगण दिन प्रतिदिन अपने–अपने न्यायालयों में निस्तारित होने वाले मामलो की सूचना कम्पयूटर अनुभाग में सिस्टम आफिसर को उपलब्ध करायेगें जिससे कि इस सम्बन्ध में समेकित विवरण की सूचना माननीय उच्च न्यायालय को ई–सर्विस मोडयूल के माध्यम से उपलबध कराई जा सके।

11. कोरोना सक्रमण के बढते हुए प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे मजिस्ट्रेट व प्रधान न्यायाधीश, जे0जे0 बोर्ड का न्यायालय भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के 1946/LXXXVII-CPC e-Courts/ Allahabad Dated 26-04-2021 के अनुपालन में अग्रिम आदेश तक बन्द रहेगा उपरोक्त न्यायालयो से सम्बन्धित बेल व रिमाण्ड आदि का कार्य विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारीगण के द्वारा न्यायालय भवन अथवा आवासीय कार्यालय से सम्पादित किया जायेगा।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

i/c जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

District Judge
Ghaziabad